संख्या-68/2022/1229/छप्पन-2022-31/2016(CC)

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 05 सितम्बर, 2022

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय में राज्य सरकार की अंशधारिता के अनुसार धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-106/ए0एफ0-2022-116/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए अन्य व्यय की धनराशि रू0 62,22,511/- में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 23,33,442/- (रूपए तेइस लाख तैंतीस हजार चार सौ बयालीस मात्र) के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- शासनादेश संख्या- 34/2022/517/छप्पन-2022-31/2016 (CC) दिनांक 30 मार्च, 2022 एवं शुद्धि-पत्र संख्या- 37/2022/559/छप्पन-2022-31/2016 (CC) दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए व्यय के अन्तर्गत मांग की गई धनराशि रू0 6,58,81,128/- में से अन्य व्यय की धनराशि रू0 63,46,456/- को कम करते हुए धनराशि रू0 5,95,34,672/- (रूपए पॉच करोड़ पचानवे लाख चौंतीस हजार छ: सौ बहत्तर मात्र) में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 2,23,25,502/- (रूपए दो करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ दो मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। तत्समय अन्य व्यय के अन्तर्गत कराए गए कार्यों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण अन्य व्यय की धनराशि रू0 63,46,456/- की वित्तीय स्वीकृति नहीं निर्गत की गई थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए अन्य व्यय की धनराशि रू0 62,22,511/- के अन्तर्गत NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 23,33,442/- (रूपए तेइस लाख तैंतीस हजार चार सौ बयालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/नियमों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए अन्य व्यय के भुगतान हेतु NIAL के शेष अंशधारकों (नॉएडा/ग्रेटर नॉएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खाता संख्या-003101220785, ICICI बैंक, आई0एफ0एस0सी0 कोड ICIC0002183 में तत्काल हस्तान्तरित कराई जाए।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 23,33,442/- (रूपए तेइस लाख तैंतीस हजार चार सौ बयालीस मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखी जाएगी, जो जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खाता संख्या-003101220785, ICICI बैंक, आई0एफ0एस0सी0 कोड ICIC0002183 में हस्तान्तरित की जाएगी।

5- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" से वहन की जाएगी।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-85/दस-2022-23, दिनांक 26 अगस्त, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या-68/2022/1229(1)/छप्पन-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा/ग्रेटर नॉएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए अन्य व्यय के भुगतान हेतु NIAL के अंशधारकों के रूप में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि तत्काल यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खाता संख्या-003101220785, ICICI बैंक, आई0एफ0एस0सी0 कोड ICIC0002183 में हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

8- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

10- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।